तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
4/4/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० विपक्षीगण को विपक्षीगण अनुपस्थित। कोई सम्मन तामील बार तीन-तीन तारीखें दिलाने दिलाई गई। बावजूद तामील विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के बहस सुनी गई। नक्शा नजरी के मुताबिक जरिये [illegible] न्यायालय के मुताबिक रास्ता नक्शा के पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना [illegible] होने पर आमिल पत्रावली की [illegible] पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या 230/2022

प्रार्थीगण :–

1. मौरादेवी पत्नी दमाराम
   जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. साकर पुत्र आदम
2. होती पुत्र आदम
   जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433/3 रकबा 1.0846 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम [illegible] करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि के [illegible] अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433/3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

1.0846 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 04/04/2023

वाद / 2023 / 285

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 230/22 — निर्णय दिनांक :– 4/4/23

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 433/5 रकबा 1.0846 हे. खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 286–290 — दिनांक : 04/04/2023.

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार चौहटन
2. थानाधिकारी R.G.T.
3. हल्का पटवारी मालपुरा उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी
5. विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी